

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग 2 NOV 2021

202
202

क्रमांक प.17(1) नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक:

समस्त आयुक्त विकास प्राधिकरण
समस्त सचिव नगर निकास न्यास,
राजस्थान

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका,
राजस्थान


विषय :- मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/सैक्टर प्लान की सड़को को मौके पर डिर्माकेशन/चिन्हीकरण/पत्थरगढ़ी करने बाबत।

विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या-17 में मास्टर प्लान की सड़को का चिन्हीकरण करने के आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/सैक्टर प्लान व बाईपास की प्रस्तावित सड़को का मौके पर डिर्माकेशन कर चिन्हीकरण/पत्थरगढ़ी की जावे। यदि प्रस्तावित सड़को के मार्गाधिकार में राजकीय भूमि हो तो यथा संभव अर्थवर्क का कार्य भी कराया जावे ताकि आमजन को मुख्य सड़को की जानकारी हो सके एवं सड़को के प्रस्तावित मार्गाधिकार में अवैध कॉलोनीयों का सृजन व अवैध निर्माण नहीं हो सके।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(दीपक चन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. वरिष्ठ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम